

#5 जिला जूरी कोर्ट

(मुकदमों की सुनवाई के लिए विवेकशील नागरिकों की जूरी का प्रस्ताव)

दुनिया में अदालतें चलाने की दो प्रणालियाँ मौजूद हैं – जज सिस्टम एवं जूरी सिस्टम। जज सिस्टम में मुकदमा सुनने और दंड देने की शक्ति सरकार के आदमी (जज आदि) के पास होती है, जबकि जूरी सिस्टम में यह काम नागरिकों का समूह (जूरी मंडल) करता है। कई देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, आदि में अदालतें चलाने के लिए जूरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जिन देशों में जूरी सिस्टम है वहाँ सरकारी भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न जज सिस्टम वाले देशों की तुलना में बेहद कम है। हमने सरल प्रकृति के आपराधिक मामलों में जूरी सिस्टम लागू करने के लिए **जूरी कोर्ट** नामक कानून ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इस कानून को लागू करने के लिए विधानसभा से अनुमति की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं।

इस कानून के गेजेट में आने के बाद मुकदमों की सुनवाई जूरी करेगी, तथा प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। जिला पुलिस प्रमुख (SP) इस पासबुक के दायरे में आएगा। तब यदि आपके जिले की पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके एसपी को बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। जूरी एवं वोट वापसी पासबुक की विस्तृत प्रक्रिया देखने के लिए पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर पढ़ें - Tinyurl.com/JilaJuryCourt



यदि आपका नाम जिले की वोटर लिस्ट में है और यदि ग्रैंड जूरी आपमें किसी मुकदमे को सुनने और फैसला देने का विवेक पाती है, तो यह कानून पास होने के बाद आपको जूरी झूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी झूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा।

1. जूरी सदस्यों का आयु वर्ग 25 से 55 वर्ष के बीच होगा व उनका चयन मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा किया जायेगा। लॉटरी द्वारा आए इन नागरिकों में से विवेकशील नागरिकों का चयन करके जूरी का गठन होगा।
2. जूरी में न्यूनतम 12 सदस्य होंगे और मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी का आकार 1500 सदस्यों तक बढ़ाया जा सकेगा।
3. प्रत्येक मामले के लिए अलग से जूरी होगी, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जायेगी। जो व्यक्ति जूरी झूटी कर चुका है, उन्हें अगले 5 वर्ष तक जूरी झूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
4. जूरी झूटी करने वाले नागरिक को 600 ₹ प्रति उपस्थिति व यात्रा व्यय मिलेगा।
5. जूरी सदस्य जज या जूरी प्रशासक की उपस्थिति में मुकदमा सुनेंगे और अपना फैसला बंद लिफाफे में जज को दे देंगे। जूरी सदस्यों के बहुमत द्वारा मंजूर फैसला जूरी का फैसला माना जाएगा।
6. जूरी का फैसला परामर्शकारी, बाध्यकारी नहीं। जज चाहे तो जूरी के फैसले में संशोधन कर सकता है, या इसे पूरी तरह पलट सकता है, या इसे अक्षरशः लागू करने का आदेश दे सकता है।